हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़

तिथि 18 मई 2026 **समय 18:10**

मुख्य समाचार :-

- वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'भारत व्यापार महोत्सव' की वेबसाइट जारी की, श्री गोयल ने कहा - वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
- हरियाणा मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को मंज़ूरी देने सहित कई फैंसले लिए।
- मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024-25 के दौरान 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत जारी पिछड़ा वर्ग ए और बी के नॉन-क्रीमी लेयर के प्रमाणपत्रों को वैधता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद, एल पी जी और तेल की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी।
- चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से ईंधन का नियंत्रित वितरण लागू किए जाने संबंधी समाचारों का खंडन किया।

****

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में 'भारत व्यापार महोत्सव' की वेबसाइट जारी करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौंसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।

विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना उन्हें रोक पाएगी, ना हमारे को थम पायेगी।

श्री गोयल कहा कि 'भारत व्यापार महोत्सव' का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएँ पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेज़ी से फैलें।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को मंज़ूरी देने सहित कई फैंसले लिए गए।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए नियमों को हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के तहत सड़क परिवहन एंव मुख्यमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार मंज़ूरी दी गई है। यह फैसला राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पढ़ते जिलों में बेहतर परिवहन को बढ़ावा देने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है। संशोधित नियमों के तहत इस वर्ष पहली जनवरी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों के बेड़े में शामिल नयी गाड़ियां आवश्यक तौर पर बैटरी, सीएनजी या किसी दूसरे स्वच्छतम ईंधन पर से चलने वाली होंगी।

नए नियमों के अनुसार एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज, चालकों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और वाहन चलाने वाले चालकों के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का अवधि बीमा करवाना अनिवार्य होगा।

इन नियमों के तहत गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फर्स्ट-एड किट और आग बुझाने का यंत्र लगाना भी अनिवार्य किया गया है। एग्रीगेटर्स को यात्री की मदद और शिकायत दूर करने के लिए सातों दिन 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर भी बनाने होंगे।

****

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 17 नवंबर, 2021 की अधिसूचना के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान जारी पिछड़ा वर्ग –ए और पिछड़ा वर्ग-बी के नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों को वैधता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्यापक -PGT के 3 हजार 69 पदों के लिए जारी भर्ती विज्ञापनों के मद्देनजर लिया गया है। क्योंकि 23 जुलाई, 2024 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार, इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को नवीनतम सरकारी निर्देशों और 16 जुलाई, 2024 की अधिसूचना के अनुरूप नए प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता थी और पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वैध नहीं माना जा रहा था। इस कारण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएँ भी दायर की गई थी ।

जो उम्मीदवार 2021 की अधिसूचना के अनुसार नॉन-क्रीमी लेयर के अंतर्गत वर्गीकृत थे, वे संशोधित मानदंडों के तहत भी नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी में ही बने रहेंगे।

****

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में फील्ड कैडर के अधीक्षक के पद के लिए 'हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग, उप-कार्यालय कॉलेज कैडर (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2026' को मंजूरी दी। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

नए नियमों के अनुसार नियुक्ति के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, पदोन्नति और स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तय किया जाएगा।

उप-अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव या सहायक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना और अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, और मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत, या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी विषय होना अनिवार्य किया गया है।

****

देश के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सभी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं।

आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया संकट की स्थिति पर हुई अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव, सुजाता शर्मा ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि देश में एल पी जी और तेल की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पिछले ढाई महीने से ज़्यादा समय से जारी है, और होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और LPG की वैश्विक कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर भारत के आयात पर भी पड़ रहा है।

****

चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से ईंधन का नियंत्रित वितरण लागू किए जाने संबंधी प्रसारित समाचारों का खंडन किया है और इन्हें भ्रामक एवं फर्जी बताया है।

इन खबरों में स्थानीय आपूर्ति संबंधी बाधाओं का हवाला देते हुए दोपहिया वाहनों के लिए 500 रुपए तथा चौपहिया वाहनों के लिए 1500 रुपए तक ईंधन सीमा निर्धारित किए जाने का दावा किया जा रहा है।

चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पेट्रोल अथवा डीजल की बिक्री पर किसी प्रकार की कोई सीमा या प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और तेल कंपनियों ने पुष्टि की है कि आपूर्ति बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से जारी है।

****

जींद के राजकीय महाविद्यालय में आज 59वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. रामपाल सैनी पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

उन्होंने शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक, एनसीसी, एनएसएस और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 450 से अधिक विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

समारोह के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. रामपाल सैनी ने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सत्यवान मलिक की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर काम कर रहा है।

****